प्रेस नोट–133/2026
दिनांक 09.03.2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा पुलिस मुख्यालय में कर्मचारियों के साथ होली मिलन समारोह

आज दिनॉकः 09.03.2026 को पुलिस मुख्यालय गोमतीनगर विस्तार लखनऊ में आयोजित होली मिलन समारोह अत्यन्त हर्षोल्लास एवं आत्मीय वातावरण में सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर **श्री राजीव कृष्ण** पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा सभी पुलिस कर्मियों एवं उनके परिजनों को होली की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी गयी।

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 महोदय द्वारा समारोह में उपस्थित कर्मचारियों को सम्बोधित करते हुये कहा कि उ0प्र0 पुलिस की उपलब्धियों एवं उत्कृष्ट कार्यों की माननीय मुख्यमंत्री जी उ0प्र0 द्वारा विभिन्न मंचों पर सराहना की गई है, जो समस्त पुलिस बल के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने बताया कि उ0प्र0 सरकार द्वारा यू0पी0 पुलिस को तकनीकी रूप से अधिक सक्षम एवं आधुनिक बनाने के उद्देश्य से इस वर्ष 44 हजार करोड़ रुपये से अधिक का बजट आवंटित किया गया है। इससे पुलिस बल की कार्यप्रणाली को और अधिक सुदृढ़, दक्ष तथा समन्वित बनाने में महत्वपूर्ण सहयोग प्राप्त होगा।

पुलिस महानिदेशक महोदय ने यह भी कहा कि पुलिस कर्मियों की सुविधाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से 1384 भवनों का निर्माण कार्य तीव्र गति से कराया जा रहा है। इससे पुलिस कर्मियों की आवासीय सुविधाओं आदि में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा पुलिस बल के सर्म्पण, अनुशासन एवं उत्कृष्ट कार्यो की सराहना करते हुये सभी को उत्साह और सकारात्मकता के साथ अपने कर्तब्यों के प्रति प्रेरित किया गया।

इस अवसर पर अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था, पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस महानिदेशक के जी0एस0ओ0 सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।

प्रेस नोट–134 / 2026
दिनांक 09.03.2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

<u>भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 की सहारनपुर इकाई द्वारा की गयी ट्रैप की कार्रवाई</u>

मा० मुख्यमंत्री उ0प्र0, **श्री योगी आदित्यनाथ जी** द्वारा भ्रष्टाचार के विरुद्ध **"जीरो टॉलरेंस"** की नीति तथा पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, **श्री राजीव कृष्ण** के सख्त निर्देशों के अनुपालन में भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 द्वारा निरंतर प्रभावी एवं कठोर कार्रवाई की जा रही है।

उक्त निर्देशों के क्रम में आज दिनांक 09.03.2026 को **भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 की सहारनपुर इकाई** द्वारा शिवम सिंह निवासी ग्राम दूधार थाना कॉधला जनपद शामली से बिजली बिल की धनराशि जमा होने के उपरान्त मीटर लगवाने के एवज में अवैध धनराशि की मांग के सम्बन्ध में की गयी शिकायत पर निरीक्षक श्री अमित कुमार सिंह के नेतृत्व में 33/11 केवी विद्युत उपकेन्द्र ग्राम दुधार थाना कांधला शामली से **लाइनमैन (संविदाकर्मी) रामबीर सिंह (विद्युत उपकेन्द्र ग्राम दुधार)** पुत्र स्व0 रमेशचन्द्र निवासी ग्राम गढी रामकौर थाना कांधला जनपद शामली को **10 हजार रूपये रिश्वत** लेते हुए गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

प्रेस नोट–135/2026
दिनांक 09.03.2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद रायबरेली/थाना कोतवाली नगर

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 09.03.2026 को थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र से पुरस्कार घोषित अभियुक्त सारिक को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना भदोखर पर पंजीकृत गैंगेस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध जनपद रायबरेली के विभिन्न थानों पर चोरी, गैंगेस्टर एक्ट आदि के कई अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सारिक निवासी गोरा बाजार पावर हाउस के सामने थाना कोतवाली नगर जनपद रायबरेली।

जनपद इटावा/थाना फ्रेंण्डस कालोनी

- **04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **10 हजार रूपये नगद**
- **चोरी करने के उपकरण आदि बरामद**

दिनांक 09.03.2026 को थाना फ्रेंण्डस कालोनी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर 04 अभियुक्तों 1–बृजेश उर्फ बच्चे 2–मुखिया 3–गौरव 4–दीपक को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 10 हजार रूपये नगद, चोरी करने के उपकरण आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त बृजेश उर्फ बच्चे के विरूद्ध जनपद फिरोजाबाद के विभिन्न थानों पर लूट, हत्या का प्रयास, आबकारी एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के डेढ़ दर्जन अभियोग, अभियुक्त गौरव के विरूद्ध जनपद इटावा के विभिन्न थानों पर चोरी, आबकारी एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के लगभग 01 दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना फ्रेण्डस कालोनी पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—बृजेश उर्फ बच्चे निवासी तहसील तिराहा गिहार कालोनी शिकोहाबाद थाना शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद।

2—मुखिया निवासी गिहार कालोनी सिरसागंज थाना सिरसागंज जनपद फिरोजाबाद।

3—गौरव निवासी तहसील तिराहा गिहार कालोनी शिकोहाबाद थाना शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद।

4—दीपक निवासी मोहल्ला कायमगंज थाना सिरसागंज जनपद फिरोजाबाद ।

बरामदगी

1—10 हजार रूपये नगद।

2—चोरी करने के उपकरण आदि।

- **जनपद बहराइच/थाना कोतवाली देहात (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को सश्रम आजीवन कारावास की सजा व 30 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद बहराइच पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बहराइच द्वारा थाना कोतवाली देहात पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त अजमेर अली को सश्रम आजीवन कारावास व 30 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद जौनपुर/थाना केराकत (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 55 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद जौनपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद जौनपुर द्वारा थाना केराकत पर पंजीकृत अभियोग में धारा 506 भादवि व 3/4 पांक्सो

एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त राममिलन को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 55 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बुलन्दशहर/थाना खुर्जा देहात (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 03 अभियुक्तों को 10–10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 21–21 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बुलन्दशहर द्वारा थाना खुर्जा देहात पर पंजीकृत अभियोग में धारा 307 भादवि व 25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त 1–आकिल 2–शाहरूख 3–साजिद को 10–10 वर्ष के सश्रम कारावास व 21–21 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

———————